संख्या-80/2017/3315 ई-2/तेरह-2017-135/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 दिसम्बर,2017

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0 15-12-2016 व दि0 31-3-2017 के अनुपालन में विस्थापित एवं असंचालित दुकानों को संचालित कराये जाने तथा असंचालन की दशा में निर्धारित देयतायें समय से जमा न किये जाने के दृष्टिगत विशिष्ट जोन मेरठ के अनुज्ञापी मे0 एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरेजेज प्रा0लि0 के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-211/दस-लाइसेंस-25/बे0ला0फी0/ला0फी0/प्रतिभूति वापसी-2017-18, दिनांक 23-8-2017 एवं पत्र संख्या-जी-216/दस-लाइसेंस-185/विशिष्ट जोन, मेरठ/17-18, दिनांक 30-8-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश डिमार्केशन एण्ड रेगुलेशन आफ स्पेशल जोन्स फार एक्सक्लूसिव प्रिवलेज आफ एक्साइज शाप्स रूल्स,2009 द्वारा गठित (स्पेशल) विशिष्ट जोन मेरठ की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन के संचालन हेतु वर्ष 2011-12 में एकान्तिक विशेषाधिकार मे0 एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरजेज प्रा0लि0 को प्रदान किया गया था, जिसका नवीनीकरण वर्ष 2017-18 तक समय-समय पर किया गया है। नियमावली के नियम-5 के अनुसार विशिष्ट जोन के अनुज्ञापी को प्रदेश के अन्य जोन के जनपदों से भिन्न थोक एवं फुटकर समस्त प्रकार की आबकारी दुकानों के संचालन का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, ऐसी स्थिति में विशिष्ट जोन, मेरठ की दुकानों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अन्य किसी अनुज्ञापी के एकान्तिक विशेषाधिकार को प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। विशिष्ट जोन, मेरठ की आबकारी दुकानों में भारी आबकारी राजस्व निहित है। अत: विशिष्ट जोन, मेरठ की समस्त आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में देयताओं के लिये मे0 एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरजेज प्रा0लि0 का दायित्व है।

अत: सम्यक विचारोपरान्त विशिष्ट जोन, मेरठ के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-62/2017/2229 ई-2/तेरह-2017-135/2017, दिनांक 15-11-2017 एतदद्वारा प्रारम्भ से ही **(ab-initio)** निरस्त किया जाता है तथा आपके उपर्युक्त पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार विशिष्ट जोन, मेरठ की विशेष प्रास्थिति के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्र में असंचालित आबकारी दुकानों को संचालित कराये जाने का उत्तरदायित्व मे0 एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरजेज प्रा0लि0 पर निर्धारित करते हुए असंचालित आबकारी दुकानों की समस्त देयताओं की वसूली सुनिश्चित की जाय। यदि उक्त अनुज्ञापी द्वारा निर्देश के बावजूद देयताएं जमा नहीं की जाती हैं, तो राजस्वहित में विशिष्ट जोन, मेरठ की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व माडल शाप्स के संचालन हेतु निर्गत एकान्तिक विशेषाधिकार को निरस्त किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in